अनुसूची 14-फारम सं0-562

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1741 का नियम 127)

आदेश पत्रक - ता0..से..तक

जिला.......................**सहरसा**........................, सं0..............**54**..............., सन् ....**2025**.........................

केस का प्रकार....................**आर्बिट्रेशन**..(**NHAI बनाम राज्य एवं अन्य**)...............

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
08.07.2026	NHAI एवं राज्य उपस्थित। प्रस्तुत आर्बिट्रेशन वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC NO-2716/2019 में दिनांक-30-09-2020 में पारित आदेश के आलोक में सक्षम प्राधिकार-सह-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा के वाद संख्या-04/2014-15 में पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर NHAI द्वारा दायर किया गया है। NHAI के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा सक्षम प्राधिकार-सह-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा के आदेश का अवलोकन किया। NHAI के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि ''माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CWJC NO-2716/2019 में दिनांक-30-09-2020 को पारित आदेश के आलोक में सक्षम प्राधिकार-सह-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा के वाद संख्या-04/2014-15 में NHAI को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा NHAI का पक्ष सुने बिना आदेश पारित किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सक्षम प्राधिकार-सह-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा को प्रस्तुत वाद Remand Back करते हुए आदेश दिया जाता है कि वे प्रश्नगत वाद में NHAI को पक्षकार बनाते हुए NHAI सहित सभी संबंधितों का पक्ष सुनकर एवं Six Men Committee अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार आदेश पारित करेंगे। इस आदेश की प्रति संबंधितों को उपलब्ध करा दी जाय। आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमंडल, सहरसा